दिनांक	फर्द अहकाम
21/7/22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित [illegible] वास्ते जवाब व तलब्या [illegible] दिनांक 7/11/22 को [illegible]
7/11/22	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त पधारे है। मतानुसार दिनांक 20/1/23 को पेश हों।
	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त पधारे है। मतानुसार दिनांक 22-6-23 को पेश हों।
22/6/23	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त पधारे है। मतानुसार दिनांक 31-10-23 को पेश हों।
31/10/23	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] पधारे है। मतानुसार दिनांक 20/2/24 को पेश हों।
20/2/24	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी [illegible] पधारे है। मतानुसार दिनांक 21-3-24 को पेश हों।
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण के उप० वकील। प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलवायी गयी। आज दिन भर के बावजूद वादीगण व वादीगण वकील उप० वकील। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे है। अतः मु० न० 353/21 धारा उर्मिला देवी बनाम रामकिशन आदम [illegible] व आदम देवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल [illegible] नम्बर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2024.06.28 11:25:17 IST
Reason: SelfAttested